जनपद शामली पुलिस

--मीडिया / सोशल मीडिया सेल शामली--

प्रेसविज्ञप्ति दिनांक 14.06.2022

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन में थाना कोतवाली / मॉनिटरिंग सेल/अभियोजन द्वारा रंगदारी के मामले में अभियुक्त को प्रभावी पैरवी के चलते मा0 न्यायालय द्वारा सुनाई गई 05 वर्ष 07 माह के कारावास की सजा, साथ ही 2000/- रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गयाः-

वर्ष 2015, 2016 में थाना कोतवाली क्षेत्रान्तर्गत अभियुक्त साजिद उर्फ पाव पुत्र रसीद निवासी नौकुआ थाना कोतवाली जनपद शामली के द्वारा वादी धर्मेन्द्र सैनी पुत्र जल सिंह निवासी मौ0 कृष्णानगर थाना कोतवाली जनपद शामली व हरवेन्द्र सिंह पुत्र महक सिंह निवासी काका नगर थाना कोतवाली जनपद शामली और कासिम पुत्र रशीद निवासी मौ0 नौकुआ थाना कोतवाली जनपद शामली द्वारा पैसे मांगना व न देने पर जान से मारने की धमकी दी गई थी। जिसके संबंध में वादी धर्मेन्द्र सैनी, हरवेन्द्र सिंह व कासिम निवासी उपरोक्त द्वारा थाना कोतवाली पर नामजद तहरीर दाखिल की थी। दाखिल तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली पर मु0अ0सं0 494/15 धारा 386 भादवि व मु0अ0सं0 431/16 धारा 386 भादवि तथा मु0अ0सं0 526/16 धारा 386 भादवि के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया था। उक्त मुकदमें में अभियुक्त को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए थाना कोतवाली पुलिस द्वारा समस्त कार्यवाही तेजी से पूर्ण कर माननीय न्यायालय आरोप पत्र प्रेषित किया गया था। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन में थाना कोतवाली / मॉनिटरिंग सेल / अभियोजन द्वारा माननीय न्यायालय में प्रभावी पैरवी कर सजा कराने में सफलता प्राप्त की है। दिनांक 13.06.2022 को माननीय न्यायालय द्वारा मु0अ0सं0 494/15 धारा 386 भादवि के तहत 05 वर्ष 06 माह के कारावास की सजा एवं 1000/- रूपये अर्थदण्ड व मु0अ0सं0 431/16 धारा 386 भादवि के तहत 05 वर्ष 07 माह के कारावास की सजा व 2000/- रुपये अर्थदण्ड तथा मु0अ0सं0 526/16 धारा 386 भादवि के तहत 05 वर्ष 06 माह के कारावास की सजा व 1000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित भी किया गया है।

नाम व पता अभियुक्तः-

1 साजिद उर्फ पाव पुत्र रसीद निवासी नौकुआ थाना कोतवाली जनपद शामली।

<u>वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन में थाना आदर्शमण्डी / मॉनिटरिंग सेल/अभियोजन द्वारा चोरी के मामले में अभियुक्त को प्रभावी पैरवी के चलते मा0 न्यायालय द्वारा सुनाई गई 02 वर्ष 06 माह 05 दिन के कारावास की सजा, साथ ही 500/- रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गयाः-</u>

वर्ष 2019 में थाना आदर्शमण्डी क्षेत्रान्तर्गत अभियुक्त समीर उर्फ सामिर पुत्र समीम निवासी बडका रोड थाना बडौत जनपद बागपत के द्वारा वादी ललित जैन पुत्र स्व0 श्री जौहरीमल जैन निवासी काम्बो कालौनी थाना आदर्शमण्डी जनपद शामली के चोरी की गई थी। जिसके संबंध में वादी ललित जैन निवासी उपरोक्त द्वारा थाना आदर्शमण्डी पर तहरीर दाखिल की थी। दाखिल तहरीर के आधार पर थाना आदर्शमण्डी पर मु0अ0सं0 295/19 धारा 379 भादवि के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया था। उक्त मुकदमें में अभियुक्त को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए थाना आदर्शमण्डी पुलिस द्वारा समस्त कार्यवाही तेजी से पूर्ण कर माननीय न्यायालय आरोप पत्र प्रेषित किया गया था। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन में थाना आदर्शमण्डी / मॉनिटरिंग सेल / अभियोजन द्वारा माननीय न्यायालय में प्रभावी पैरवी कर सजा कराने में सफलता प्राप्त की है। दिनांक 13.06.2022 को माननीय न्यायालय द्वारा सुनाई गई 02 वर्ष 06 माह 05 दिन के कारावास की सजा व 500/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है तथा जुर्माना अदा न करने पर 10 दिन का अतिरिक्त कारावास की सजा होगी।

<u>नाम व पता अभियुक्तः-</u>

1 समीर उर्फ सामिर पुत्र समीम निवासी बडका रोड थाना बडौत जनपद बागपत।

थाना झिंझाना

थाना झिंझाना पुलिस द्वारा वांछित 02 चोर गिरफ्तार, कब्जे से चोरी किये 02 लोहे के गेट व घटना में प्रयुक्त रेहडा बरामदः-

आज दिनांक 14.06.2022 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शामली श्री सुकीर्ति माधव के आदेशानुसार चलाये जा रहे संदिग्ध वांछित/चोर की गिरफ्तारी के अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी नगर के कुशल नेतृत्व में थाना झिंझाना पुलिस द्वारा सूचना पर 02 चोर को चोरी के गेट व घटना में प्रयुक्त रेहडा सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना झिंझाना पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

ज्ञात हो दिनांक 14.06.2022 को वादी श्री नजाकत पुत्र जुम्मन निवासी मौ0 खटीकान थाना झिंझाना जनपद शामली द्वारा बारातघर के लोहे के दरवाजे को अज्ञात चोरो द्वारा चोरी करने के संबंध में थाना झिंझाना पर लिखित तहरीर दी थी। दाखिला तहरीर के आधार पर थाना झिंझाना पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तगणः-

1.वसीम पुत्र सलीम निवासी ग्राम कुन्डा कला थाना गगौह जनपद सहारनपुर।

2.अब्बास पुत्र यासीन निवासी मौ0 कुरेशान थाना गढीपुख्ता जनपद शामली।

बरामदगी का विवरणः-

1.चोरी के 02 गेट लोहे के।

2.घटना में प्रयुक्त 01 रेहडा (अर्द्ध मोटर साइकिल) जिसका चैसिस न0-MD2DSDXZZNAC95596।

थाना बाबरी

थाना बाबरी पुलिस द्वारा दहेज हत्या के मामले में वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार।

आज दिनांक 14.06.2022 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शामली श्री सुकीर्ति माधव के आदेशानुसार चलाये जा रहे महिला/बालिकाओं के विरूद्ध अपराध की रोकथाम एवं महिला/बालिकाओं से अपराध संबंधित वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के अनुपालन में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन तथा क्षेत्राधिकारी थानाभवन के निकट पर्यवेक्षण में थाना बाबरी पुलिस द्वारा दहेज की मांग पूरी ना होने पर महिला की हत्या के मामले में वांछित 01 अभियुक्त नरेन्द्र को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना बाबरी पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

ज्ञात हो कि दिनांक 28.04.2022 को थाना बाबरी क्षेत्रान्तर्गत महिला से दहेज की मांग को लेकर उत्पीड़न कर हत्या करने के संबंध में पीड़िता के परिजन द्वारा थाना बाबरी पर लिखित तहरीर दी गयी थी। दाखिला तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। अभियुक्त अक्षय को पूर्व में ही गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्त-

1.नरेन्द्र पुत्र जगबीर निवासी भटीपुरा थाना किठौर जनपद मेरठ।

<u>थाना थानाभवन</u>

<u>थाना थानाभवन पुलिस द्वारा दहेज के अभियोग में वांछित 15,000/- रूपये का इनामी अभियुक्त गिरफ्तार।</u>

आज दिनांक 14.06.2022 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शामली श्री सुकीर्ति माधव के आदेशानुसार चलाये जा रहे वांछित/इनामी/फरार अपराधियों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन में तथा क्षेत्राधिकारी थानाभवन के कुशल पर्यवेक्षण में थाना थानाभवन पुलिस द्वारा दहेज के अभियोग में वांछित 15 हजार रूपये का इनामी अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना थानाभवन पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

ज्ञात हो कि दिनांक 22.01.2015 को वादिया श्रीमती मुनीफा पुत्री नवाब अली निवासी गांव रायपुर थाना बाबरी जनपद शामली द्वारा उसके साथ पति व उसके परिजन द्वारा उत्पीडन कर बलात्कार करने के संबंध में थाना थानाभवन पर लिखित तहरीर दी गयी थी । दाखिल तहरीर के आधार पर थाना थानाभवन पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया । फरार अभियुक्त की गिरफ्तारी पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा 15 हजार रुपये का पुरस्कार घोषित किया गया था। जिसकी गिरफ्तारी हेतु प्रयास किये जा रहे थे।

<u>नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-</u>

1- मुस्तफा पुत्र मुमताज उर्फ रुला निवासी ग्राम नया कुंडा थाना गंगोह जनपद सहारनपुर।

<u>थाना झिंझाना</u>

<u>01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 तमंचा व 01 जिन्दा कार0 315 बोर बरामद-</u> आज दिनांक 14.06.2022 को थाना झिंझाना पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त संदीप कुमार पुत्र हरपाल निवासी ग्राम रंगाना थाना झिंझाना जनपद शामली को अवैध 01 तमंचा मय 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। गिरफ्तारी व बरामदगी के संबंध में थाना झिंझाना पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।